न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 295/2016

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 हरीराम पुत्र भानाराम उर्फ भगवाना उम्र 48 वर्ष तथाकथित दत्तक पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती दड़की पत्नी ताराचन्द पुत्री जोराराम उम्र 60 वर्ष
2 चाना देवी पत्नी भानाराम उम्र 65 वर्ष
3 मन्जू उम्र 48 वर्ष पुत्री भानाराम।
4 कौशल्या उम्र 45 वर्ष पुत्री भानाराम।
5 महीपाल उम्र 30 वर्ष पुत्र सांवरमल।
6 विनोद उम्र 28 पुत्र सांवरमल।
7 बनारसी उम्र 32 वर्ष पुत्र पुत्री सांवरमल।
8 सोहनी उम्र 26 वर्ष पुत्री सांवरमल।
9 भंवरी उम्र 50 वर्ष बेवा सांवरमल।
10 लखन उम्र 03 वर्ष पुत्र मुरलीधर।
11 सोनिया उम्र 07 वर्ष पुत्री मुरलीधर नाबालिग जरिये माता गीता बेवा मुरलीधर।
12 पेमाराम उम्र 93 वर्ष रूघाराम।
13 धोकलराम पुत्र भोमाराम उम्र 65 वर्ष
14 नेमीचन्द उम्र 48 वर्ष पुत्र कानाराम समस्त जाति जाट निवासीगण खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
15 रामावतार उम्र 50 वर्ष पुत्र नौरंग जाति जाट निवासी सुण्डा की ढाणी तन बेरी तहसील व जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनू)

16 उप पंजियक कार्यालय नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिकी दिनांक 26.09.2016
मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
उनवानी दावा श्रीमती दड़की देवी बनाम हरिराम
मुकदमा नम्बर 2/2016

अपील संख्या 19/2017

1 श्रीमती चाना देवी पत्नी भानाराम।
2 महिपाल पुत्र सांवरमल।
3 विनोद पुत्र सांवरमल।
4 भंवरी पत्नी सांवरमल।
5 गीता पत्नी मुरलीधर।
6 पेमाराम पुत्र रूघाराम समस्त जाति जाट निवासीगण खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
7 मन्जु देवी भानाराम पत्नी नौंरगलाल।
8 कौशल्या पुत्री भानाराम पत्नी श्रीराम समस्त जाति जाट निवासी चारण की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।
9 बनारसी पुत्री सांवरमल पत्नी सांवरमल जाति जाट हाल निवासी बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
10 सोहनी पुत्री सांवरमल पत्नी महिपाल जाति जाट हाल निवासी कस्बा सीकर तहसील व जिला सीकर।
11 लखन आयु 4 वर्ष पुत्र मुरलीधर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

12 सोनिया आयु 8 वर्ष पुत्री मुरलीधर जाति जाट निवासीगण खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू जरिये माता गीता पत्नी मुरलीधर जाति जाट निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती दड़की पत्नी ताराचन्द जाति जाट हाल निवासी बलवन्तपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

2 हरिराम दत्तक पुत्र जोराराम।

3 कानाराम पुत्र भोमाराम।

4 धोकलराम पुत्र भोमाराम।

5 नेमीचन्द पुत्र कानाराम समस्त जाति जाट निवासीगण खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

6 भगवानी पुत्री भोमाराम पत्नी राजु जाति जाट निवासी हाल डूडियों का बास तन कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

7 धन्नी देवी पुत्री भोमाराम पत्नी लक्ष्मण जाति जाट हाल निवासी बिलवा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

8 रामावतार पुत्र नौरंगराम जाति जाट निवासी सुण्डा की ढ़ाणी तन बेरी तहसील व जिला सीकर।

9 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।

10 एस.बी.बी. जे शाखा बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।

11 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

12 अशोक कुमार पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी बलवन्तपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अ. धारा 223 आर.टी.एक्ट1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री
बअदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ राजस्व
लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2016
कैम्प खिरोड़ दावा उनवानी दड़की देवी बनाम
हरिराम वगैरह दावा बाबत घोषणा विभाजन व
स्थायी निषेधाज्ञा दावा संख्या 2/2016 निर्णय
व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.05.2016 व संशोधित
निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.05.2016

अपील संख्या 20/2017

1 श्रीमती चाना देवी पत्नी भानाराम।
2 महिपाल पुत्र सांवरमल।
3 विनोद पुत्र सांवरमल।
4 भंवरी पत्नी सांवरमल।
5 गीता पत्नी मुरलीधर।
6 पेमाराम पुत्र रूघाराम समस्त जाति जाट निवासीगण खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
7 मन्जु देवी भानाराम पत्नी नौरंगलाल।

Lavio

प्र-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

8 कौशल्या पुत्री भानाराम पत्नी श्रीराम समस्त जाति जाट निवासी चारण की ढ़ाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

9 बनारसी पुत्री सांवरमल पत्नी सांवरमल जाति जाट हाल निवासी बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

10 सोहनी पुत्री सांवरमल पत्नी महिपाल जाति जाट हाल निवासी कस्बा सीकर तहसील व जिला सीकर।

11 लखन आयु 4 वर्ष पुत्र मुरलीधर।

12 सोनिया आयु 8 वर्ष पुत्री मुरलीधर जाति जाट निवासीगण खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू जरिये माता गीता पत्नी मुरलीधर जाति जाट निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती दड़की पत्नी ताराचन्द जाति जाट हाल निवासी बलवन्तपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

2 हरिराम दत्तक पुत्र जोराराम।

3 कानाराम पुत्र भोमाराम।

4 धोकलराम पुत्र भोमाराम।

5 नेमीचन्द पुत्र कानाराम समस्त जाति जाट निवासीगण खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

6 भगवानी पुत्री भोमाराम पत्नी राजु जाति जाट निवासी हाल डूडियों का बास तन कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

Lanio

प्र.प्रतिलिपि ...
पदेन ... अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनू)

7 धन्नी देवी पुत्री भोमाराम पत्नी लक्ष्मण जाति जाट हाल निवासी बिलवा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

8 रामावतार पुत्र नौरंगराम जाति जाट निवासी सुण्डा की ढ़ाणी तन बेरी तहसील व जिला सीकर।

9 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।

10 एस.बी.बी. जे शाखा बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।

11 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

12 अशोक कुमार पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी बलवन्तपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अ. धारा 223 आर.टी.एक्ट1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री
बअदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ दावा
उनवानी दड़की देवी बनाम हरिराम दावा बाबत
घोषणा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा
दावा संख्या 2/2016 निर्णय व
अन्तिम डिक्री दिनांक 26.09.2016

उपस्थित

1. श्री मोहम्मद आबिद अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री विनोद कुमार अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 27.03.2019

यह तीनो अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा दावा संख्या 2/2016 में पारित प्राथमिक डिकी दिनांक 24.05.2016 एवं अन्तिम डिकी दिनांक 26.09.2016 के विरूद्व प्रथक—प्रथक प्रस्तुत हुई है। तीनो अपीलों में विवादित भूमि व पक्षकार समान होने से तीनों का निर्णय एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां तीनों पत्रावलीयों में पृथक —पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 11 के विरूद्व भूमि खसरा नम्बर 836,914,915,1046,1048,1049,1057,1058,1066 व 1067 मौका खिरोड़ व तहसील नवलगढ़ बाबत घोषणा तथा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने दिनांक 16.05.2016 को प्राथमिक डिकी की एवं दिनांक 24.05.2016 को संशोधित प्राथमिक डिकी पारित की गई। दिनांक 26.09.2016 को अन्तिम डिकी पारित की गई। इससे व्यथित होकर यह तीनों अपीले धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व एक तरफा निर्णय कर विधिक त्रुटि की है। अपीलांटस के समन नोटिसो पर अंकित तामिली रिपोर्ट पूर्णतया मिथ्या है। मन्जु कौशल्या के समन पर उनकी मां का मौजुद मिलना एवं नोटिस लेने से इन्कार करने का अंकन है। चाना देवी के नोटिस पर भी यही अंकन है। पेमाराम के नोटिस पर उसकी पत्नी का मौजुद होना अंकित है जबकि उसकी पत्नी पचास साल पूर्व मर चुकी थी स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधि सम्मत

तामिल नही करवाई गई है। अपीलांट संख्या 9 व 10 नाबालिग थे इनके विरूद्व भी एकतरफा कार्यवाही की गई है। जो आदेश 32 नियम 3 सीपीसी के सर्वथा विपरित है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपने आपको जोराराम की पुत्री होना कथन कर मां का नाम नारायणी देवी बताया है नारायणी और जोराराम बतौर पति पत्नी साथ रहे हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही है। जोराराम के रेस्पोडेंट संख्या 2 दत्तक पुत्र है रेस्पोडेंट संख्या 1 का कभी भी वास्तविक कब्जा नही रहा है एवं कब्जा प्राप्ती का कोई दावा भी नही किया है। विचारण न्यायालय के निर्णय विधि विरूद्व है जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश कर दी है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी 1984 पेज 111, आर.आर.डी. 1987 पेज 456, आर.आर.टी. 2007(1) एच.सी. पेज 723, आर.आर.डी. 1999 पेज 25, आर.बी.जे. 2017 पेज 299 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है। अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय ने सम्यक तामिल के उपरान्त इकतरफा कार्यवाही की है। अपील मियाद बाहर है अपीलांट को निर्णय की जानकारी निर्णय के दिन से है। हरिराम ने प्राथमिक डिकी की अपील नही की है। अत अन्तिम डिकी की अपील पोषणीय नही है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील में दड़की देवी की वलदीयत का प्रश्न उठाया गया है भींवाराम की मृत्यु का भी प्रश्न उठाया गया है। इस हेतु विद्वान अधिवक्ता ने वर वक्त बहस फर्द के साथ फोटो कॉपी दावा उनवानी धोकलराम बनाम रतनाराम वगैरह दिनांक 04.04.1989, फोटो कॉफी मृत्यु प्रमाण पत्र भींवाराम, फोटो कॉफी प्रमाण पत्र, फोटो कॉफी पेन कार्ड दड़की प्रस्तुत कर रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया एवं तीनों अपीले सारहीन होना कथन कर खारिज करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे 2006(2) पेज 964, आर.आर.टी. 2006–07 पेज 114, ए.आई.आर.

1961 एस.सी. पेज 790, ए.आई.आर. 1963 एस.सी. पेज 992 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट के विरूद्व विचारण न्यायालय में एकतरफा कार्यवाही की गई हैं इस सन्दर्भ में विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तामिली नोटिसो का अवलोकन किया गया। मन्जु कौशल्या के समन पर उनकी मां का मौजुद मिलना एवं नोटिस लेने से इन्कार करने का अंकन है। चाना देवी के नोटिस पर भी यही अंकन है। पेमाराम के नोटिस पर उसकी पत्नी का मौजुद होना अंकित है जबकि उसकी पत्नी पचास साल पूर्व मर चुकी थी स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधि सम्मत तामिल नही करवाई गई है।

अपीलांट संख्या 9 व 10 नाबालिग थे इनके विरूद्व भी एकतरफा कार्यवाही की गई है। जो आदेश 32 नियम 3 सीपीसी के सर्वथा विपरित है। इस सन्दर्भ में हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 1987 पेज 456 में अभिनिर्धारित सिद्वान्त का अवलोकन किया जो इस प्रकार है कि " **Order 32,Rule 3- Court is bound to appoint a proper guardian ad- litem for a minor defendant.**

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा न तो अपीलांट की सम्यक तामिल करवाई गई है न ही आदेश 32 नियम 3 सीपीसी की पालना की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री का आदेश प्रथम दृष्टया ही विधि विरूद्व एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व पाया जाता है। फलस्वरूप अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 न्यायहित में स्वीकार की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री

Lavo

...आधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैंप ...)

अपास्त की जाती है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर आदेश 32 नियम 3 सीपीसी की पालना करते हुये गुणावगुण पर उभयपक्ष को सुनकर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.04.2019 को अपनी उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

27.3.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर